न्यायालय न्यायिक मजि०भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

मु०नं०- **748/2016**

सरकार बनाम सत्यभान आदि।

धारा 323,452,325,336,506 भा०द०सं०

थाना- भोगनीपुर **,** कानपुर-देहात।

आरोप

मैं,विवेक कुमार सिह-प्रथम**,** न्यायिक मजि० **भोगनीपुर**,कानपुर देहात आप अभियुक्तगण सत्यभान**,**देवेन्द्र कुमार एवं राजकिशोर को निम्नवत आरोपित करता हूं।

प्रथमतः यह कि दिनांक **09-03-2016** समय अज्ञात वहद स्थान थाना भोगनीपुर ,जनपद कानपुर देहात मे आप लोगो ने सामान्य आशय की पूर्ति हेतु एक राय होकर वादी मुकदमा व उसके पुत्र तथा उसकी पत्नी को लाठी डण्डों से मारा पीटा। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं.० की धारा **323** भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध् किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

द्वितीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा के घर मे उपहति,हमला या सदोष अवरेाध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं.० की धारा **452** भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध् किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

तृतीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा मुकदमा राधाचरन को लाठी डण्डा से मारा जिससे उनके फ्रेक्चर हो गया । इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं.० की धारा **325** भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध् किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

चतुर्थतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोगो को ईट पत्थर चलाकर वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित हुआ। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं.० की धारा **336** भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध् किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

पंचमतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोगो को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं.० की धारा **506** भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध् किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतदद्रारा आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्रारा किया जाए।

दिनांक 04-06-2018

(विवेक कुमार सिह–प्रथम)
न्यायिक मजि०भोगनीपुर
कानपुर देहात ।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की माग की ।

दिनांक 04-06-2018

(विवेक कुमार सिह–प्रथम)
न्यायिक मजि०भोगनीपुर
कानपुर देहात ।